"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 15, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं Ku. DUKKA SANTOSHI (दुक्का संतोषी) पिता Late Shri DUKKA RAMA RAO, उम्र 36 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 272/2, आर. व्ही. एच. कालोनी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. शादी के पूर्व मैं Ku. Dukka Santoshi D/o Late Shri Dukka Rama Rao के नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जाती थी. मेरी शादी Shri URLANKULA KODANDA RAMAYYA के साथ हुई. शादी उपरान्त मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम URLANKULA SANTHOSHII रख ली हूं तथा इस आशय के सबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे URLANKULA SANTHOSHII W/o Shri URLANKULA KODANDA RAMAYYA के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी व दर्ज की जावें

पुराना नाम

DUKKA SANTOSHI
दुक्का संतोषी
पिता स्व. रामाराव
निवासी-क्वा. नं. 272/2, आर. व्ही. एच.
कालोनी रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

URLANKULA SANTHOSHII
उर्लनकुला संतोषी
W/o Urlankula Kodanda Ramayya
निवासी-क्वा. नं. 272/2, आर. व्ही. एच.
कालोनी रायपुर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं खड़क सिंह पिता स्व. श्री पान सिंह, उम्र 59 वर्ष, निवासी 3 बी, सड़क 36, नंदनी नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा सही व वास्तविक नाम खड़क सिंह है. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम खड़ग सिंह (Kharag Singh) दर्ज है तथा मेरे सेवा पुस्तिका में मेरा नाम खड़क सिंह (Kharak Singh) दर्ज है तथा मेरे पहचान पत्र व पेनकार्ड में मेरा नाम खड़क सिंह (Khadak Singh) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम खड़क सिंह (Khadak Singh) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे खड़क सिंह (Khadak Singh) पिता स्व. श्री पान सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
खड़ग सिंह (Kharag Singh) पिता स्व. श्री पान सिंह निवासी-3 बी, सड़क 36 नंदनी नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	खड़क सिंह (Khadak Singh) पिता स्व. श्री पान सिंह निवासी-3 बी, सड़क 36 नंदनी नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं भगवती राम आत्मज स्व. बिसेलाल, उम्र 44 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 211/एफ, रिसाली सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र मोहित कुमार वर्मा के जन्म प्रमाण पत्र एवं मेरे बी.एस. पी. रिकार्ड में उसका नाम मोहित कुमार पिता भगवती राम दर्ज है तथा उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों में उसका नाम मोहित कुमार वर्मा दर्ज है. मैं मेरे पुत्र के नाम के आगे सरनेम वर्मा जोड़कर मोहित कुमार वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को मोहित कुमार वर्मा आत्मज श्री भगवती राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मोहित कुमार आत्मज-श्री भगवती राम निवासी-क्वा. नं. 211/एफ, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	मोहित कुमार वर्मा आत्मज-श्री भगवती राम निवासी-क्वा. नं. 211/एफ, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रवण कुमार साहू आत्मज श्री पति राम साहू , उम्र 43 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 19 ई, सड़क नं. 5, सेक्टर 4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड, सेवा पुस्तिका, शैक्षणिक दस्तावेजों एवं पेनकार्ड में मेरा नाम श्रवण कुमार दर्ज है जबकि मेरे पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेन्स एवं आई. टी. आई. के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में मेरा नाम श्रवण कुमार साहू दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम साहू जोड़कर अपना नया नाम श्रवण कुमार साहू रख लिया हू तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे श्रवण कुमार साहू पिता श्री पति राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रवण कुमार	श्रवण कुमार साहू
पिता श्री पति राम	पिता श्री पति राम साहू
निवासी-क्वा. नं. 19 ई, सड़क नं. 5	निवासी-क्वा. नं. 19 ई, सड़क नं. 5
सेक्टर 4, भिलाई नगर	सेक्टर 4, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जनार्दन देवांगन आत्मज श्री छत्तलाल देवांगन, उम्र 45 वर्ष, निवासी-ब्लाक नं. 5 एफ, सड़क नं. 8, सेक्टर 2, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड, सेवा पुस्तिका, शैक्षणिक दस्तावेजों, पेनकार्ड एवं ड्रायविंग लाइसेन्स में मेरा नाम जनार्दन दर्ज है जबकि मेरे पहचान पत्र एवं आई. टी. आई. के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में मेरा नाम जनार्दन देवांगन दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम देवांगन जोड़कर अपना नया नाम जनार्दन देवांगन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे जनार्दन देवांगन पिता श्री छत्तलाल देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
जर्नादन	जनार्दन देवांगन
पिता श्री छत्तलाल देवांगन	पिता श्री छत्तलाल देवांगन
निवासी-ब्लाक नं. 5 एफ, सड़क नं. 8	निवासी-ब्लाक नं. 5 एफ, सड़क नं. 8
सेक्टर 2, भिलाई नगर	सेक्टर 2, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कौशल प्रसाद वर्मा आत्मज श्री भरतलाल वर्मा, आयु 40 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी क्वा. नं. 3 एफ, सड़क रेल्वे एवेन्यू, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरा वास्तविक एवं प्रचलित नाम कौशल प्रसाद वर्मा पिता भरतलाल वर्मा है. किन्तु भूलवश मेरा बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कौशल प्रसाद मढरिया पिता भरतलाल मढरिया दर्ज हो गया है. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम कौशल प्रसाद वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे कौशल प्रसाद वर्मा पिता श्री भरतलाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कौशल प्रसाद मढरिया पिता श्री भरतलाल मढरिया निवासी-क्वा. नं. 3 एफ, सड़क रेल्वे एवेन्यू सेक्टर 6 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	कौशल प्रसाद वर्मा पिता श्री भरतलाल मढरिया निवासी-क्वा. नं. 3 एफ, सड़क रेल्वे एवेन्यू सेक्टर 6 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 14 नवम्बर 2013

[छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2013/729.—प्राथमिक विपणन सहकारी समिति मर्या. बतौली पंजीयन क्रमांक 2140 को इस कार्यालय के सूचना पत्र क्रमांक विधि/2011/427 अम्बिकापुर दिनांक 03-06-2011 के द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (ग) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया था निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी समिति की ओर से कोई उत्तर/स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है.

अत: मैं ए. के. मिंज, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ अम्बिकापुर छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-19/15-02/2012/03 रायपुर दिनांक 04-05-13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक विपणन सहकारी समिति मर्या. बतौली को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ.

समिति का कार्य समेटने के लिए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री जे. डी. कुजूर, स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14-11-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. मिंज,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.